श्रीराम बनाम संतोष

अपील संख्या : 2022/95

10.06.2022	पत्रावली पेश हुई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित । रेस्पोडेन्ट कम 02 एवं 04 की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री रामबाबू मालव द्वारा वकालतानाम पेश किया । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 02 व 04 के द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 08.06.2022 से आगे नहीं बढाने का कथन किया । अंतरिम स्थगन आदेश को आगे नहीं बढाने के सम्बन्ध में विद्वान् अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट कम 2 व 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया था जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया है जिस पर न्यायालय हाजा ने अपीलान्ट के पक्ष में स्थगन जारी किया है जो त्रुटिपूर्ण है । क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है और न ही वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं । जबकि रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 03ए के प्रावधानों के अनुसार एकतरफा तौर पर पारित स्थगन आदेश का एक माह में निस्तारण किया जाना आवश्यक है । एक माह के अन्दर निस्तारण नहीं करने की स्थिति में पीठासीन अधिकारी को आदेशिका में उसका कारण स्पष्ट करना आवश्यक है । अतः न्यायालय हाजा द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 13.05.2022 को खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 767, आरआरटी 2017 (1) पेज 420, आरआरटी 2016 (2) पेज 1416 उद्वरत की । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अभी परीक्षण न्यायालय की पत्रावली न्यायालय हाजा में प्राप्त नहीं हुई है । परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 28.04.2022 को पहले स्थगन आदेश की मियाद बढाई गई लेकिन उसके बाद वादी की अनुपस्थिति में केवल मात्र अप्रार्थी कम 04 के अभिभाषक को सुनकर स्थगन की मियाद नहीं बढाने का अंकन किया, जो न्यायोचित नहीं है अप्रार्थी कम 04 बदनियति पूर्वक वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करना चाहता है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के विरूद्ध न्यायालय हाजा में अपील मेन्टेनेबल है । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि जब तक परीक्षण न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नहीं हो जाती है तब अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को आगे बढाया जावे ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 28.04.2022 के विरूद्ध अपील पेश की और अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया था । चूँकि प्रस्तुत प्रकरण में उक्त अपील परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश की अपील है । परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय परीक्षण न्यायालय में किया जाना है । उपर्युक्त स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को पत्रावली प्राप्ति के 45 दिवस में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर निरस्तारण करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.04.2022 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र का विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार पर पत्रावली प्राप्ति के 45 दिवस में अन्दर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 01.07.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा